संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./एफ 583/2019/1284-B भोपाल,दिनांक 27/11/2019

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारी को कॉलम कमांक 03 में उल्लेखित पदस्थापना स्थान से कॉलम कमांक 04 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क.	नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरित स्थल	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5
1.	श्री सुधीर रंगारे, संगणक	सीएचसी करेली, जिला–नरसिंहपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायसेन	स्वयं के व्यय पर

मान0स्वास्थ्य मंत्रीजी द्वारा अनुमोदित–

शर्ते–

01. उपरोक्त कर्मचारियों को दो सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा ब़ोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। दो सप्ताह पश्चात् स्थानान्तरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।
02. यदि कोई कर्मचारी संविदा/दैनिक वेतनभोगी अथवा परीवीक्षा पर है तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे। तत्काल संचालनालय को अवगत करावे ताकि आदेश निरस्त किया जा सके ।
03. संबंधित संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानांतरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांती प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानांतरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेदार माने जावेंगें ।
04. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का युनिक एम्पलाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
05. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी स्थानान्तरण पर आये कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण आदेश विभागीय बेव–साईट पर अपलोड किया गया है।
06. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी स्थानान्तरण पर आये कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुनिश्चित करें कि संबंधित का युनिक एम्पलाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है एवं उनके अधीन संबंधित पद रिक्त है।
07. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के ई–मेल पर आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करे।
08. पूर्व में स्थानान्तरित ऐसे कर्मचारी जिन्होंने आदेश का पालन नहीं किया है एवं स्थानान्तरण से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में हो के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा।
09. अनाधिकृत अनुपस्थित कर्मचारियों पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा।
10. स्थानांतरण से आये कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना विधान सभा आश्वासन वाले स्थानों पर पदस्थापना/पदपूर्ती प्राथमिक्ता के आधार पर करें।

27/11/19

(श्रीमती सपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-583/2019/1285-B भोपाल,दिनांक 27/11/2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,भोपाल।
02. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
03. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की ओर लेख है कि सीएम मॉनिट प्रकरण क्रमांक 2249/सीएमएस/बीसीएस/2019 दिनांक 29.08.2019 (ए+) विलोपित करने का कष्ट करें।
04. संयुक्त संचालक, समन्वय, स्थानीय कार्यालय की ओर लेख है कि उक्त मॉनिट "ए+" प्रकरण विलोपित करने का कष्ट करें।
05. क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-नरसिंहपुर/रायसेन,मध्यप्रदेश।
07. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- नरसिंहपुर/रायसेन, मध्यप्रदेश।
08. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
09. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
10. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
11. आदेश नस्ती।

27/11/19

अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश